

Duplicate Copy
19-Sep-2024

आदेश

तिथि
Jun 5 2022

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नारायणपुर थाना झारिया

खाता	प्लॉट	रकबा
80	676	0 एकड़, 6.6 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
SRI GANESH CHANDRA MANDAL	पिता	LATE MOHAN MANDAL

है जिन्होंने निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1252 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
मंगल मंडल वो योगेन्द्र वो पशुपती वो लवाय	पिता	पिता-वाबुलाल मंडल
मोहन मंडल वो रामचन्द्र मंडल	पिता	पिता-अंकुर मंडल,
नागर मंडल ,मो० ढंढा मडलाईन	पिता	पिता-त्रिभंग मंडल,पति-त्रिभंग मंडल
बलाय मंडल वो हलधर मंडल वो गदाय मंडल ,	पिता	पिता-हाबु मंडल,
निवारण मंडल वो मलीराम मंडल	पिता	पिता-महीन्दी मंडल,
आनीवाला वो भोगीवाला वो तीता वो विन्दा	पिता	पिता-लखु मंडल,
सुधीर मंडल	पिता	पिता-मुचीराम मंडल,
प्रफुल्य मंडल वो बशन्त मंडल वो शतीश मंडल ,	पिता	पिता-नगेन मंडल
अम्बिका मंडल वो दुखु मंडल	पिता	पिता-हरी पदो मंडल,
मो० आबोदी मंडलानी नारद वो धिरेन वो मनी मंडल	पति	पति-हरी पदो मंडल,पिता-अनन्त मंडल,
खुदी मंडलानी	पति	पति-अनन्त मंडल
खुदीराम मंडल वो सुदु मंडल वो युगल मंडल	पिता	पिता-भोला मंडल,

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजेस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 10रुपये

स्वीकृत किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
PRASANT KUMAR LAYAK
अंचलाधिकारी धनबाद

